

## आरथकि दुरव्यवहार: घरेलू दुरव्यवहार का एक उपेक्षिति पहलू

यह एडटोरियल 23/05/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "No Way Out" लेख पर आधारित है। इसमें महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हसिंच के एक रूप आरथकि हसिंच या उत्पीड़न के बारे में चर्चा की गई है जिस पर बहुत कम विमर्श हुआ है।

### प्रलिमिस के लिये:

**घरेलू हसिंच से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDV अधिनियम)**, केंद्रीय पीड़िति मुआवजा निधि (CVCF), महिला पुलसि स्वयंसेवक (MPV), राष्ट्रीय महिला आयोग

### मेन्स के लिये:

आरथकि शोषण: योगदान करने वाले कारक, सरकार की पहल और आगे की राह

**घरेलू हसिंच (Domestic Violence)** के बारे में आम समझ यह है कि यह सत्रायियों के विरुद्ध शारीरिक एवं यौन प्रकृतियों की हसिंच है जो प्रायः उनके अंतर्गत साथी द्वारा की जाती है। घरेलू हसिंच के एक अन्य रूप आरथकि हसिंच (Economic Violence) के बारे में अधिक बात नहीं की जाती है, जबकि यह हसिंच या उत्पीड़न का एक अधिक कपटपूरण तरीका है जो अपने कार्यकरण की शैली में प्रायः प्रत्यक्ष नज़र नहीं आता।

आरथकि उत्पीड़न (Economic Abuse) भी शारीरिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और भावनात्मक उत्पीड़न से गहनता से संबद्ध है। आरथकि उत्पीड़न के सबसे आम रूप हैं- महिलाओं पर रुपए-पैसे के मामले में भरोसा नहीं करना, उन्हें बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं देना और उन्हें घर खर्च के लिये प्रयाप्त धन नहीं सौंपना।

आरथकि उत्पीड़न पर समाज का अधिक ध्यान नहीं पड़ना आश्चर्यजनक नहीं है, जहाँ मुख्यधारा समाज में महिलाओं, बच्चों और क्वीयर (queer) व्यक्तियों के विरुद्ध हसिंच की सबसे आम धारणाएँ शारीरिक या यौन संदर्भ में प्रचलित हैं। जबकि भारतीय कानून में घरेलू हसिंच के विरुद्ध विषेश कानून **घरेलू हसिंच से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDV Act)** के अंतर्गत 'आरथकि उत्पीड़न' (economic abuse) को चहिनति किया गया है, आरथकि संदर्भ में हसिंच या उत्पीड़न सार्वजनिक चेतना का अंग उस तरह नहीं बन सका है जैसे अंतरंग साथी द्वारा यौन एवं शारीरिक प्रकृतियों की हसिंच को देखा जाता है।

### आरथकि उत्पीड़न क्या है?

#### परचियः

- **PWDV अधिनियम** के तहत, आरथकि उत्पीड़न को ऐसे सभी या कसी भी आरथकि या वित्तीय संसाधनों से वंचित करने के रूप में प्रभावित किया गया है, जिसके लिये पीड़िति महिला कसी भी कानून के तहत हक्कदार है।
- कानून के तहत, पीड़िति महिला जिन संसाधनों या सुवधाओं का उपयोग करने की हक्कदार है, उन तक उनकी निरित्तर पहुँच पर रोक या प्रतिबंध को भी आरथकि उत्पीड़न माना गया है।
- इसके अलावा, गृहस्थी की चीजें सत्रायन का व्ययन, चल या अचल परसिंपतति, ऐसी कीमती सामान या अन्य संपत्ति जिसमें पीड़िति महिला का हति शामिल है आदि का कोई संक्रामण (alienation) भी आरथकि उत्पीड़न के तहत शामिल किया गया है।
- विषेश रूप से भारतीय संदर्भ में, आरथकि उत्पीड़न द्वेष और स्त्रीधन के दोहन जैसे संबंधित विषयों को भी दायरे में लेता है।
  - **स्त्रीधन वह है** जो एक महिला अपने जीवनकाल में प्राप्त करती है। स्त्रीधनों को स्त्रीधन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
  - इसके अलावा, न्यायालयों ने माना है कि महिला को आरथकि या वित्तीय संसाधनों या स्त्रीधन से वंचित करना PWDV अधिनियम के तहत प्रभावित घरेलू हसिंच के समान है।
  - अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि पीड़िति महिला के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारति किया जा सकता है और प्रत्यरथी को ऐसी आस्तीयों के अन्य संक्रामण, बैंक लॉकरों एवं बैंक खातों के प्रचालन (वह एकल स्वामतिव में हो या संयुक्त स्वामतिव में) आदि से प्रतिविधि किया जा सकता है।
  - इसमें पीड़िति महिला का स्त्रीधन या दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से या एकल रूप से धारति कोई अन्य संपत्ति भी शामिल है।
- **प्रभाव:** आरथकि हसिंच महिलाओं को वास्तविक रूप से स्वतंत्र होने से रोकती है, अपने जीवन के संबंध में नियन्त्रण लेने की उनकी क्षमता को बाधित करती है और प्रायः अपमानजनक स्थितियों से बाहर निकल सकने या उत्पीड़नकरता (abuser) से अलग हो सकने की उनकी अक्षमता में एक

प्रमुख योगदानकरता है।

- मुंबई में अनौपचारिक बस्तयों में कथि गए एक कर्रास-सेक्शनल सर्वेक्षण में 23% कभी भी विहिति रही महिलाओं ने आरथिक उत्पीड़न के कम से कम एक रूप से पीड़िति होने की सूचना दी। आरथिक उत्पीड़न मध्यम-गंभीर अवसाद (depression), दुश्चिति (anxiety) और आत्मघाती विचार (suicidal ideation) की संभावना से भी स्वतंत्र रूप से संबद्ध पाया गया।

- भारत में आरथिक उत्पीड़न का परावृश्य:

- वर्ष 2022 में एक प्रमुख भारतीय बीमा कंपनी टाटा एआईए (Tata AIA) द्वारा कथि गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 59 प्रतिशत कामकाजी महिलाएँ अपने वित्तीय निरिण्य स्वयं नहीं लेती हैं, जो भारतीय महिलाओं की वित्तीय नियंत्रिता की सीमा को दर्शाता है।
- NFHS 5 में पाया गया कि 32% विहिति महिलाओं (18-49 वर्ष) ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक हसिं का अनुभव कथि। वैवाहिक हसिं का सबसे आम प्रकार शारीरिक हसिं (28%) है; इसके बाद भावनात्मक हसिं और यौन हसिं का स्थान है।
- अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (All-India Democratic Women's Association) द्वारा वर्ष 2017 में कथि गए एक अध्ययन में पाया गया कि 72% महिलाओं ने अपने जीवनकाल में कसी न कसी रूप में आरथिक उत्पीड़न का अनुभव कथि था।

## आरथिक उत्पीड़न के कुछ आम उदाहरण

- नौकरी प्राप्त करने या नौकरी में बने रहने, शिक्षा प्राप्त करने या संपत्ति अर्जिति करने से अवरुद्ध कथि जाना।
- धन, बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड तक पहुँच या वित्तीय स्वायत्तता को नियंत्रित करना।
- उनके वेतन और अन्य आरथिक संसाधनों का दोहन करना, जैसे कि उनकी सहमति के बना उनका धन खर्च करना, ऋण सृजन या उनका सामान ले लेना।
- संपत्ति, उत्तराधिकार या दहेज के पीड़िति के अधिकार से उसे वंचति करना।
- भोजन, वस्तर, आवास, दवा या व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों जैसी आवश्यकताओं से उन्हें वंचति रखना।

## आरथिक उत्पीड़न के उच्च प्रसार में योगदान करने वाले कारक

- **पत्रिसत्तात्मक दृष्टिकोण:** आरथिक उत्पीड़न प्रायः पत्रिसत्तात्मक मानदंडों में नहित होता है जो पुरुषों को घर और समाज में महिलाओं पर अधिक वरीयता देता है। महिलाओं को शिक्षा, रोज़गार और संपत्ति के अधिकारों तक पहुँचने में भेदभाव एवं बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो उन्हें अपने पुरुष साथियों पर अधिक नियंत्रित करना।
- **महिलाओं के लिये आरथिक अवसरों का अभाव:** भारत में महिलाओं को प्रायः शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच से वंचति रखा जाता है। यह उन्हें आरथिक रूप से अपने पता पर अधिक नियंत्रित करना है, जो फिर उन्हें आरथिक उत्पीड़न के लिये अधिक भेद्य/संवेदनशील बना सकता है।
- **जागरूकता की कमी:** आरथिक उत्पीड़न की शिक्षा महिलाएँ इसे घेरेलू हसिं के रूप में चिह्नित कर सकने में अक्षम हो सकती हैं या सहायता प्राप्त कर सकने के अपने अधिकारों एवं विकल्पों के बारे में अनभिजित हो सकती हैं।
- **सामाजिक कलंक:** आरथिक उत्पीड़न को सांस्कृतिक या धार्मिक विशिष्टाओं द्वारा सामान्यीकृत कथि जा सकता है या उचित ठहराया जा सकता है, जो पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग भूमिकाएँ एवं उत्तराधिकार देते हैं। यह पीड़ितियों को मदद मांगने या उत्पीड़न की रपोर्ट करने से हतोत्साहित कर सकता है।

## आरथिक उत्पीड़न के विरुद्ध उपलब्ध सुरक्षा उपाय

- **घरेलू हसिं से महिला संरक्षण अधिनियम (PWDVA) 2005**, जो आरथिक हसिं को व्यापक रूप से परभिष्ठि करता है और पीड़िति महिलाओं के लिये मौद्रिक राहत, मुआवजा एवं संरक्षण आदेश का उपबंध करता है।
- **दंड प्रकरण संहिता 1973**, जो नयायालयों को उन पतनियों, बच्चों और माता-पिताओं के भरण-पोषण का आदेश देने का अधिकार सौंपती है, जिनकी उनके पति, पति या पुत्रों द्वारा उपेक्षा की जाती है।
- **हानि उत्तराधिकार अधिनियम (2005 में संशोधित)**, जो संयुक्त परविवार की संपत्ति में पुत्रियों एवं पुत्रों को समान अधिकार प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय महिला आयोग**, जो राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था है जिसे महिलाओं के हतियों की रक्षा एवं संवरद्धन का कार्य सौंपा गया है।
- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoW&CD)** ने गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिला पुलसि कार्यक्रमों (MPVs) को संलग्न करने की परकिल्पना की है जो पुलसि और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है तथा संकट का सामना कर रही महिलाओं की मदद करती है।
- **MoW&CD** ने 'सखी' डैशबोर्ड लॉन्च कथि है। यह वन स्टॉप सेंटर्स (OSCs) और महिला हेल्प लाइन्स (WHLs) के कार्यकारियों के लिये एक ऑनलाइन मंच है, जो उनके पास आने वाले हसिं प्रभावित महिलाओं के मामलों के साथ-साथ उनके स्थापन के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं के संग्रहण एवं उन्हें देख सकने की सुविधा प्रदान करता है।
- **दूरसंचार विभाग** ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को महिला हेल्पलाइन के लिये 181 नंबर आवंटित कथि है।
- **रेल मंत्रालय** ने एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (Integrated Emergency Response Management System) शुरू की है जिसका उद्देश्य सुरक्षा हेल्पलाइन, चाकितिसा सुविधाओं, RPF एवं पुलसि, CCTV कैमरों की स्थापना आदि के साथ रेलवे के सुरक्षा नियंत्रण कक्षों को सुदृढ़ करने के माध्यम से सभी रेलवे स्टेशनों पर महिला यात्रियों को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करना है।
- **गृह मंत्रालय** ने CrPC की धारा 357A के तहत केंद्रीय पीड़िति मुआवजा निधि (CVCF) स्थापित की है। यह उन पीड़ितियों (बलात्कार और एसडी अटैक की शिकायत पीड़ितियों सहित) या उनके आश्रितों को सुआवजे के लिये धन उपलब्ध कराने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का समर्थन करेगी, जिन्हें अपराधों के प्रणालीम सवरूप हानि हुई है या आघात लगा है।

## आरथकि उत्पीड़न को कम करने के लिये और क्या कथि जा सकता है?

- **जागरूकता बढ़ाना:** आरथकि घरेलू उत्पीड़न के बारे में जनजागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। शैक्षिक अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम और मीडिया पहल समझ को बढ़ावा देने, चेतावनी के संकेतों को पहचानने और इस तरह के उत्पीड़न की रपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं।
- **महिलाओं के लिये उपलब्ध सुरक्षा उपायों के विकल्पों को बढ़ावा देने और इन्हें महिलाओं के बीच मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।**
- **कानूनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना:** हालाँकि सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये PWDV अधनियम लागू किया है, लेकिन यह कमोबेश एक शक्तिहीन अधनियम ही बना हुआ है। सरकार को अधनियम में कड़े दंड प्रवधानों को शामिल करना चाहिये ताकि यह उत्पीड़न करने वालों के लिये एक नविरक के रूप में कार्य कर सके।
- **सहायता सेवाएँ प्रदान करना:** आरथकि घरेलू उत्पीड़न की शक्तिर महिलाओं को विशेष सहायता सेवाओं तक पहुँच की आवश्यकता होती है। इसमें परामर्श, कानूनी सहायता, वित्तीय सलाह और सुरक्षित आवास या रोजगार खोजने में सहायता करना शामिल हो सकती है।
- **इस समस्या से संघर्ष के लिये नारी फाउंडेशन, शक्ति वाहनी फाउंडेशन जैसे गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाना चाहिये जो इस क्षेत्र में असाधारण कार्य कर रहे हैं।**
- **पीड़ितियों को सशक्त बनाना:** पीड़ितियों के आरथकि रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने के लिये उन्हें सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षिक अवसर और रोजगार प्रदान कार्यकरमों तक पहुँच प्रदान करने से इन पीड़ितियों को अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकने और नियमित रोजगार सुरक्षित कर सकने के लिये आवश्यक कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
- **महिलाओं के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)** इस मुद्दे को हल करने का एक प्रमुख भाग रहा है। इस तरह की अन्य योजनाएँ स्वागत योग्य होंगी।
- **वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग:** यद्यपि महिलाओं को कम लागत वाले ऋण प्रदान करने की योजनाएँ मौजूद हैं, लेकिन वितरित ऋणों की संख्या बहुत कम है। आरथकि उत्पीड़न को रोकने में बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान उल्लेखनीय भूमिका नभी सकते हैं। आरथकि उत्पीड़न के संकेतों को पहचानने के लिये कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना, संदर्भित लेनदेन की रपिट करने के लिये प्रोटोकॉल विकसित करना और ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता संसाधन प्रदान करना—ये सभी आरथकि घरेलू उत्पीड़न को कम करने में योगदान कर सकते हैं।
- **अनुसंधान और डेटा संग्रह:** आरथकि उत्पीड़न के प्रसार, कारणों एवं प्रणायमों को समझने के लिये अनुसंधान और डेटा संग्रह में नविश करना आवश्यक है। यह सूचना नीतियों, हस्तक्षेपों और संसाधन आवंटन को सूचना-संपन्न बनाने में मदद कर सकती है।
- **लैंगिक समानता और सामाजिक मानदंडों में परविरतन को बढ़ावा देना:** अंतर्नालिति लैंगिक असमानताओं को दूर करना और हानिकारक सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना आरथकि घरेलू उत्पीड़न को कम करने के लिये अत्यंत मूलभूत है। शक्ति, जागरूकता अभियान और सामुदायिक संलग्नता के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना दीर्घकालिक रोकथाम प्रयासों में योगदान कर सकता है।
- **अभ्यास प्रश्न:** आरथकि उत्पीड़न घरेलू हस्तियों का एक रूप है जिस पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है। इसकी व्यापकता में योगदान करने वाले कारों और पीड़ितियों पर इसके प्रभाव पर विचार कीजिये। उन रणनीतियों के सुझाव भी दें जिन्हें प्रभावी ढंग से जागरूकता बढ़ाने, आरथकि उत्पीड़न को रोकने और इन्हें संबोधित करने के लिये अपनाया जा सकता है।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रत्यायौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दखाई दे रहे हैं। इस कुरूत्य के विद्युत्व विद्यमान विधिक उपबन्धों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। (2014)